अध्याय – III

विश्व विरासत स्थलों का प्रबंधन

1972 में, यूनेस्को की सामान्य सभा ने विश्व सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित परिपाटी अपनाई। परिपाटी का उद्देश्य मानवता के लिए विशिष्ट महत्व के रूप में समझी जाने वाली पूर्ण विश्व की सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक विरासत की पहचान, संरक्षण तथा प्रतिरक्षण को प्रोत्साहित करना है। भारत ने इस परिपाटी का नवम्बर 1977 में अनुसमर्थन किया।

भा.पु.स. यूनेस्को को विश्व विरासत स्थलों (वि.वि.स्थ) का नामनिर्देशन हेतु एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। भा.पु.स. के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन भी 19 सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल हैं।

विश्व विरासत स्थल, एक प्राकृतिक, सांस्कृतिक या एक मिश्रित स्थल हो सकता है। भारत में, फरवरी 2013 तक, कुल 29 स्थलों का वि.वि.स्थ. के रूप में अनुमोदन किया गया था। इनमें से 19 स्थल (सभी सांस्कृतिक) वर्तमान में भा.पु.स. के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हैं। दो स्थल रेल मंत्रालय, एक राजस्थान राज्य सरकार, छः पर्यावरण तथा वन मंत्रालय तथा एक बिहार में मंदिर प्रबंधन समिति बोधगया के पास है।

3.1 विश्व विरासत स्थल (वि.वि.स्थ.)

विश्व विरासत स्थलों के संबंध में यूनेस्को की 1972 की परिपाटी निम्नलिखित उद्देश्यों से विकसित की गई थी -

- सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक दोनों पहलुओं में विश्व विरासत को परिभाषित करना,
- सदस्य देशों, जो संरक्षण के अपवादित हित तथा सार्वभौमिक महत्व के थे तथा जिनका समस्त मानवजाति से संबंध था, से स्थलों तथा स्मारकों के नाम लिखना, तथा

भावी पीढ़ी के लिए इन अखंड सार्वभौमिक खजानों के संरक्षण हेतु योगदान देने के लिए सभी राष्ट्र तथा लोगों के बीच सहयोग बढ़ाना।

विश्व विरासत स्थलों को यूनेस्को द्वारा नामाद्दिष्ट किया जाता है तथा अपनायी गई प्रकियाएं इस उद्देश्य हेतु तैयार किए गए यूनेस्को के संचालनात्मक दिशानिर्देशों में प्रदर्शित है। नामनिर्देशन के बाद भी प्रत्येक स्थल के लिए यूनेस्को द्वारा आवधिक मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन करने का प्रावधान है।

किसी देश के लिए विश्व विरासत सूची में उनका स्थल सूचीबद्ध होना प्रतिष्ठा की बात है। यह उल्लेख पर्यटन को बढ़ावा देता है तथा स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में खुशहाली लाने में सहायता देता है। विश्व विरासत सूची में दर्ज किए गए स्थल वर्तमान में 962 हो गए हैं, जिनमें 745 सांस्कृतिक सम्पत्तियां, 188 प्राकृतिक सम्पत्तियां तथा 29 मिश्रित सम्पत्तियां शामिल हैं। इस क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी के बावजूद वि.वि.स्थ. सूची में भारत के अभी तक केवल 29 स्थल (विवरण **अनुबंध 3.1** में दिए गए हैं) शामिल किए गए हैं। इटली (47), स्पेन (44) तथा चीन (43) जैसे देशों मे तुलनात्मक रूप से स्थलों की अधिक संख्या थी।

3.1.1 स्थल का वि.वि.स्थ. के रूप में शिलालेख हेतु प्रक्रिया

चार्ट 3.1 *स्थल का वि.वि.स्थ. के रूप में शिलालेख हेतु प्रक्रिया*

- सर्वप्रथम स्थल को, यूनेस्को की अंतरिम सूची, जो भारत में भा.पु.स. द्वारा अनुरक्षित की जा रही है, में लिया जाता है। वे स्थल जो एक वर्ष या इससे अधिक की अवधि तक अस्थाई सूची में रहते हैं उनको अंतिम नामांकन हेतु अग्रेषित किया जाए।
- अंतिम नामांकन हेतु नामांकन डोजियर, जिसमें स्थल तथा उसके संरक्षण योजना के सभी विवरण अंतर्विष्ट हो, सहित एक प्रस्ताव भेजा जाता है। वर्ष 2008 से, नामांकन डोजियर हेतु स्थल प्रबंधन योजना (स.प्र.यो.) अधिदेशात्मक था।
- मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात, डोजियर को और मूल्यांकन तथा अनुमोदन हेतु विश्व विरासत केन्द्र (वि.वि.के.) यूनेस्को पेरिस भेजा जाता है।
- इसके पश्चात मूल्यांकन यूनेस्को की परामर्श निकाय अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्मारक तथा स्थल परिषद (अं.स्मा.स्थ.प.) अथवा अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ (अ.प्रा.सं.स.)[16] द्वारा मूल्यांकन हेतु स्थल का निरीक्षण किया जाता है।

[16] प्राकृतिक स्थलों हेतु

- इस स्थल - निरीक्षण के आधार पर "अस्वीकरण", "आस्थगन" (आस्थगित) "उल्लेखन" अतिरिक्त सूचना की आवश्यकता अथवा शिलालेख के लिए अनुशंसा की जाती है। तब यूनेस्को अंतिम निर्णय देता है। यदि विश्व विरासत केन्द्र, नामांकन डोजियर में दिए गए विशिष्ट सार्वभौमिक महत्व (वि.सा.म.) के मानदण्ड तथा औचित्य के बारे में संतुष्ट हो जाता है तो सूची में स्मारक का नाम दर्ज कर देता है।

3.2 विश्व विरासत स्थलों हेतु नोडल एजेंसी

भा.पु.स. ने हमें सूचित किया कि सभी विश्व विरासत से संबंधित मामलों के लिए मंत्रालय, नोडल मंत्रालय था तथा भा.पु.स., भारत सरकार की ओर से नोडल एजेंसी थी। हमने पाया कि भा.पु.स. के पास इस आशय के कोई लिखित आदेश नहीं थे। इन मूल आदेशों के अभाव में, हम भा.पू.स. को निर्दिष्ट किए गए कार्य तथा कार्यनिष्पादन के संबंध में पूर्ण आश्वासन प्राप्त करने में असमर्थ थे। भा.पू.स. के कार्य पर हमारी समझ अभिलेखों में पाई गई पद्धतियों के अनुसार थी।

3.2.1 भा.पु.स. का गिरता कार्यनिष्पादन

अभी तक (2012), भारत सरकार ने यूनेस्को को 53 प्रस्ताव प्रस्तुत किए जिनमें से 16 के नाम दर्जवार लिए गए थे। इनमे से 19 भा.पु.स. संरक्षित स्मारकों से संबंधित थे। 1993 तक, भा.पु.स. ने अपने स्मारकों के संदर्भ में 16 वि.वि.स्थ. के नाम लिखे थे। इन स्मारकों के 16 डोजियर्स भा.पू.स. द्वारा स्वयं तैयार किए गए थे। तदन्तर, यह कार्य अधिकतर बाहरी परामर्शदाओं से बाह्य रूप से कराया गया था। परामर्शदाओं के उपयोग में वृद्धि होने के साथ ही हमने प्रस्तावों की स्वीकृति में निरन्तर गिरावट भी पायी। हमने पाया कि पिछले पांच वर्षों (2007-12) के दौरान भा.पु.स. ने केवल तीन प्रस्ताव प्रस्तुत किए जिनमें से कोई स्वीकार नहीं किया। इनमें से, दो कार्य ₹ 79.84 लाख की लागत पर बाह्य रूप से परामर्शदाताओं से कराए गए थे।

हमने पाया कि मंत्रालय ने विश्व विरासत स्थलों के शिलालेख से संबंधित मामलों में सुधार लाने तथा परामर्श देने के लिए विश्व विरासत मामलों पर एक सलाहकार समिति का गठन किया था। समिति की उसके प्रारम्भ होने के समय से सात बैठकें हुई थीं। तथापि, नवम्बर 2012 तक विश्व विरासत सूची में कोई संयोजन नहीं हुआ था।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (मई 2013) कि सलाहकार समिति ने राजस्थान के पश्चिमी घाट तथा हिल फोर्ट के पिछले नामांकनों का समर्थन तथा उन्नयन किया था। मंत्रालय ने यह भी बताया कि हिल फोर्ट राजस्थान के अं.स्मा.स्थ.प. मूल्यांकन में तथ्यात्मक त्रुटियां थी जिसे बाद में अं.स्मा.स्थ.प. द्वारा विश्व विरासत सत्र में स्वीकार कर लिया गया था। तथापि, इसके लिए कोई प्रलेखित प्रमाण नहीं दिया गया तथा तथ्य यह रहा कि विश्व विरासत स्थल सूची में कोई नया स्थल जोड़ा नहीं गया था।

3.2.2 अंतरिम सूची हेतु स्थलों के चयन का मानदण्ड

एक अंतरिम सूची उन सम्पत्तियों, जिसका प्रत्येक राज्य पार्टी, नामांकन हेतु विचार करने का इरादा रखता है, की एक सूची है। यह किसी स्थल का अंतिम रूप से नामांकन हेतु विचार करने के पूर्व यह एक अधिदेशात्मक आवश्यकता थी। 2011-12 में, यूनेस्को की अस्थायी सूची (ब्यौरे **अनुबंध 3.2** में) पर भारत के 34 स्थल थे जिसमें से 14 स्मारक भा.पु.स. द्वारा संरक्षित हैं। राज्य सरकार, गैर सरकारी संगठन तथा न्यासों आदि द्वारा अंतरिम सूची हेतु भेजे गए प्रस्तावों को विश्व विरासत मामलों की सलाहकार समिति की सलाह के अनुसार भा.पु.स. द्वारा संसाधित किए गए थे। अंतरिम सूची के अपेक्षित फॉर्मेट को भरने के पश्चात यह मंत्रालय को अनुमोदन हेतु भेजा गया था तथा तत्पश्चात यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि (भा.स्था.प्र.) को, जिसने इसे और मूल्यांकन तथा अनुमोदन हेतु वि.वि.स. को प्रस्तुत किया।

अंतरिम सूची हेतु स्मारक/स्थल के चयन हेतु निर्धारित मानदण्ड नहीं थे। प्रत्येक अंतरिम स्थल या अंतिम नामांकन हेतु अस्थायी सूचीबद्ध स्थलों के बीच प्राथमिकीकरण अपनाने के लिए कोई मानक प्रक्रिया नहीं थी।

3.2.3 अंतरिम सूची का संशोधन न करना

यनेस्को के दिशानिर्देशों के अनुसार यह विचार किया गया था कि प्रत्येक दस वर्षों में अस्थायी सूची की समीक्षा तथा उसका अद्यतन किया जाए।

भा.पु.स. के अभिलेखानुसार 2002, 2004 तथा 2009-10 में अंतरिम सूची में संशोधन करने के प्रयास किए गए थे। लेकिन भा.पु.स. विभिन्न पणधारियों से इनपुट प्राप्त करने के बावजूद सूची अद्यतन करने में विफल रहा। अब अंतरिम सूचियों में संशोधन करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जा रही थी, लेकिन इस कार्य को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा नियत नहीं की गई थी। नियमित संशोधन न होने की दशा में, हमने अंतरिम सूची में असंगतियां तथा अतिव्यापत्तियां देखीं। उदाहरणार्थ " हैदराबाद का गोलकोंडा किला " अंतरिम सूची में दो बार दर्शाया गया है। वैसे ही श्री हरमिन्दर साहिब, अमृतसर का नामांकन डोजियर वापस ले लिया गया था, हांलाकि यह अभी तक अंतरिम सूची में दर्शाया जाता है।

मंत्रालय ने बताया (मई 2013) कि भारत में अंतरिम सूची का संशोधन 2012 से चल रहा है।

3.3 स्थायी नामांकन हेतु तैयारी

अंतरिम सूची से, नामांकन डोजियर बनाए गए थे। नामांकन दस्तावेज प्रारंभिक आधार थे जिस पर समिति ने, विश्व विरासत सूची पर सम्पत्तियों के शिलालेख करने पर विचार किया। हमने पाया कि -

- भा.पु.स. ने अंतरिम सूची से नामांकित किए जाने वाले स्थलों के चयन हेतु कोई विशिष्ट मानदण्ड निर्धारित नहीं किए थे। अस्थायी सूची में 1998 के बाद से प्रस्ताव थे लेकिन स्थलों को स्थायी नामांकन हेतु डोजियरों की तैयारी के लिए यादृच्छिक रूप से चुना जा रहा था। कुछ नामांकनों को अंतरिम सूचियों से लिया जा रहा था, जबकि अन्यों जैसे जन्तर मन्तर को अंतिम नामांकन हेतु अस्थायी सूची के बिना चुना गया था।

- स्थल का चयन करने के पश्चात एक नामांकन डोजियर बनाया गया था। अंतरिम सूची में चयनित स्थलों को अंतिम नामांकन हेतु तैयार करने के लिए उनके विकास हेतु कोई दिशानिर्देश नहीं थे। भा.पु.स. में हमने पाया कि स्थायी शिलालेख हेतु तैयारी करने की गतिविधियों ने केवल नामांकन डोजियर हेतु परामर्शदाताओं का चयन तथा स्थल प्रबंधन योजना शामिल थे। स्थल को विकसित करने के लिए कोई परियोजना नहीं थी अथवा कोई संगठित प्रयास नहीं किए गए थे।

अनुशंसा 3.1: *भा.पु.स. को अंतरिम सूची के लिए स्थल तथा अस्थायी सूची से अंतिम शिलालेख के चयन हेतु प्रयोजन मानदण्ड तथा अपेक्षाएं निर्धारित करनी चाहिए क्योंकि इससे नामांकन से पूर्व स्थल को प्राथमिकता देने, नियोजन करने तथा तैयार करने में सहायता मिलेगी।*

अनुशंसा 3.2: *भा.पु.स. को संरक्षण तथा स्थल प्रबंधन के द्वारा अंतरिम विश्व विरासत स्थलों के विकास हेतु एक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यह अकेला ही स्थल के स्थायी नामांकन को सुनिश्चित कर सकता है।*

मंत्रालय ने बताया (मई 2013) कि विश्व विरासत मामले परामर्श समिति (वि.वि.मा.प.स.) अंतरिम सूची अद्यतन करने के प्रक्रिया में थी तथा यह भी सुनिश्चित कर रही थी कि विश्व विरासत समिति को डोजियर भेजने से पहले प्रबंधन प्रक्रियां उचित थी। इसके अतिरिक्त भा.पू.स. बहुत अच्छे संरक्षण की स्थिति में भावी विश्व विरासत स्थल का अनुरक्षण करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास कर रहा था।

3.3.1 नामांकित डोजियरों के लिए परामर्शदाताओं का चयन

हमने पाया कि भा.पु.स. द्वारा वि.वि.स्थ. के नामांकित डोजियर की तैयारी तथा स्थल प्रबंधन योजना के लिए बाह्य परामर्शदाता नियुक्त किए गए थे। चयन प्रक्रिया हर एक मामले में भिन्न थी। कुछ मामलों में, भा.पु.स. ने परामर्शदाता नियुक्त किए तथा अन्यों में राज्यों ने हमारी संवीक्षा से पारदर्शिता की कमी, अनियमितताएं होना तथा परामर्शदाताओं को अदेय लाभ पहुंचाना, इत्यादि प्रकट हुआ। भा.पु.स. द्वारा प्रस्तावित सभी पांच[17] मामलों में कई प्रयासों तथा परामर्श

[17] शांतिनिकेतन, माजुली, हड़प्पा स्थलों का क्रमिक नामांकन, पट्टड़कल एवं रानी की वाव का विस्तार

कार्यों[18] के प्रति ₹ 1.76 करोड़[19] की संविदात्मक देयता के बावजूद स्थलों के दिसम्बर 2012 तक विश्व विरासत सूची में सूचीबद्ध नहीं किया गया था जिसके विस्तृत ब्यौरे नीचे दिए गए हैं-

शान्तिनिकेतन, पश्चिम बंगाल (2009):

नामांकन डोजियर हेतु कार्य - यह कार्य सुश्री आभा नारायण लाम्बा और श्री मनीश चक्रवर्ती को संयुक्त रूप से ₹ 35 लाख की लागत पर मई 2009 में सौंपा गया था।

प्रस्ताव की स्थितिः नामांकन जनवरी 2010 में प्रस्तुत किया गया लेकिन अं.स्मा.स्थ.प. के मूल्यांकन के बाद वापस ले लिया गया था। पुनः प्रस्तुतीकरण के लिए नहीं लिया गया।

लेखापरीक्षा में पाई गई अनियमिताएं:

- स्थल का यादृच्छिक रूप से चयन किया गया।
- खुली निविदाएं आमंत्रित करने की बजाय आठ परामर्शदाओं से सीमित उद्धरण मंगाए गए थे। इस कम सूची के लिए अभिलेख में कोई मानदण्ड नहीं थे।
- अपूर्ण होने के बावजूद एक बोलीदाता द्वारा दी गई बोली को अस्वीकार नहीं किया गया था तथा एल-1 को दे दिया गया था।
- केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके कार्य एल-1 तथा एल-4 बोलीदाता को संयुक्त रूप से दिया गया था।

मांजुली (2004, 2008, 2012)

नामांकन डोजियर हेतु कार्यः

1. 2004 में सुश्री नलिनी ठाकुर तथा श्री सुरोजित जराधरा को कार्य सौंपा गया था।
2. 2008 में, सुश्री पूनम ठाकुर तथा श्री रोहित जिज्ञासु को ₹ 16.84 लाख की लागत पर कार्य सौंपा गया था।
3. 2012 में, श्री सूर्यनारायण मूर्ति (मै. क्षेत्रा) को ₹ 28 लाख के भुगतान वाला कार्य सौंपा गया था।

प्रस्ताव की स्थितिः

अं.स्मा.स.प. द्वारा तीन प्रस्ताव क्रमशः अतिरिक्त सूचना हेतु भेजे, आस्थगित तथा तकनीकी रूप से अपूर्ण पाए गए थे। स्थल का अभी तक शिलालेख नहीं कराया जा सका।

[18] जिसमें से ₹ 1.05 करोड़ की राशि दी गई है।
[19] रानी-की- वाव का नामांकन डोसियर अंतर-कार्यालयी तैयार किए गए थे।

लेखापरीक्षा में पाई गई अनियमिताएं:

- स्थल विश्व की सबसे अधिक लम्बी नदी के द्वीप पर था तथापि इसको सांस्कृतिक स्थल के रूप में प्रस्तुत किया गया न कि मिश्रित या प्राकृतक स्थल के रूप में।
- भा.पु.स. ने तीन विभिन्न परामर्शदाओं से काम कराया था। तथापि, उनमें से किसी ने भी संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं किया था।
- तीन मामलों में से एक में विश्व विरासत मामले परामर्श समिति (वि.वि.मा.प.स.) द्वारा डोजियर का मूल्यांकन करके अनुमोदन किया गया जो तकनीकी रूप से अपूर्ण पाया गया था। यह वि.वि.मा.प.स. द्वारा अनुचित जांच को दर्शाता है।
- सभी तीन मामलों में उन पराशर्मदाताओं जिन्होंने डोजियर तैयार किए, को डोजियर अपूर्ण होने के कारण अस्वीकार करने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था।

हड़प्पा स्थलों पर क्रमिक नामांकन (2008)

नामांकन डोजियर हेतु कार्यः

यह कार्य मार्च 2009 में श्री रानेश रे को ₹ 65 लाख की लागत पर सौंपा गया था।

प्रस्ताव की स्थितिः

भा.पु.स. द्वारा, डोजियर पूर्ण होने से पूर्व 2010 में प्रस्ताव अस्थगित कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि;

- धोलावीरा के अलावा, और कोई स्थल अस्थायी सूची में शामिल नहीं था।
- परामर्शदाता का चयन अपारदर्शी था तथा इनका नामांकन निविदाएं आमंत्रित किए बिना किया गया था।
- कार्य निष्पादन रिपोर्ट के आधार पर अगस्त 2009 में ₹ 38 लाख का भुगतान जारी किया गया था।
- कार्य निष्पादन गारंटी की शर्त को औचित्य के बिना छोड़ दिया गया था।
- शुल्क में अनुपातिक कमी किए बिना दो स्थलों (राखीगढ़ी तथा भिर्राना) को हटाकर कार्य की मात्रा को मध्य में घटा दिया गया था।
- भा.पु.स., स्थलों की उत्खनन रिपोर्टें उपलब्ध कराने में विफल रहा जिसके कारण अंतिम नामांकन तैयार नहीं किया जा सका।
- उत्खनन रिपोर्टों के अनुपलब्धता के बावजूद ठेका दोषपूर्ण था, भा.पु.स. ने उन रिपोर्टों को उपलब्ध कराने में अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार किया है।

पट्टाडकल स्मारक समूह में बदामी तथा आइहोल हेतु प्रस्ताव - विस्तारण (2002-03, 2010-12)

नामांकन डोजियर हेतु कार्य

1. यह कार्य श्री ए. रामानाथन तथा श्री रनेश रे को ₹ 14 लाख की लागत जिसे 2003 में ₹ 24 लाख तक बढ़ा दिया गया था, पर सौंपा।
2. मै. एडी द्रोणा को ₹ 31.56 लाख की कुल लागत (2011) पर कार्य दिया गया था डोजियर अभी तक तैयार नहीं किए गए थे (नवम्बर 2012)

लेखापरीक्षा में पाई गई अनियमितताएं:

- अनुमान 2002 में ₹ 14 लाख से बढ़ कर 2011 में ₹ 31.56 लाख हो गए थे तथा कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया था।
- 2003 में पराशर्मदाताओं को नामांकन के माध्यम से एक अपारदर्शी ढंग से चुना गया था।
- 2010 में, धारवाड़ परिमंडल ने परामर्शदाताओं के चयन हेतु एक्सप्रैशन ऑफ इंटरस्ट (ई.ओ.आई.) जारी किया। ई.ओ.आई. में एक प्रतिबंधित शर्त थी जिसके परिणामस्वरूप केवल वे परामर्शदाता जिन्होंने वि.वि.स्थ. परियोजनाओं पर पहले कार्य किया हुआ था, ही पात्र थे। भारत में आरंभ की गई कुछ परियोजनाओं में उसने केवल पहले चयनित परामर्शदाताओं को ही प्रतिबंधित किया।
- 2011 में, एडी द्रोणा को स.वि.वि. तथा मंत्रालय के अनुमोदन के बिना कार्य सौंपा गया था।
- एडी द्रोणा का चयन किया गया था क्योंकि वह कर्नाटक का परामर्शदाता था। हांलाकि, ऐसे स्थान निर्धारण को पहले किसी परामर्श के लिए अपनाया नहीं गया था।
- विलम्ब के मामले में दण्ड के लिए कोई प्रावधान नहीं था।

3.3.2 स्थल प्रबंधन योजना की तैयारी तथा कार्यान्वयन

स्थल प्रबंधन योजना वह दस्तावेज है जो स्थल के संरक्षण तथा प्रबंधन पर एक पवित्र परिप्रेक्ष्य देता है। यूनेस्को के 2008 के संचालनात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार स्थल प्रबंधन योजना[20] का

[20] स्थल प्रबंधन स्थल के आवश्यकताओं पर निर्भर स्थल प्रबंनधन योजना विस्तृत संरक्षण प्रबंधन योजना (वि.सं.प्र.प्ला.), स्थल प्रबंधन योजना (स्थ.प.प्ला.) या एकीकृत प्रबंधन योजना (स.प्र.प्ला.) के रूप में हो सकता है।

प्रस्तुतिकरण अनिवार्य था। हमने पाया कि भा.पु.स. के 19 स्थलों में से 15 मामलों में ये योजना तैयार नहीं थी। यहां तक कि जहां पर ये योजना बनाई गई थी, वहां स्थल पर इनको कार्यान्वित नहीं किया गया था।

हमने पाया कि भा.पु.स. ने चार स्थलों के लिए एकीकृत प्रबंधन योजना (ए.प्र.प्ला. /विस्तृत संरक्षण प्रबंधन योजना (वि.सं.प्र.प्ला./स्थल प्रबंधन योजना (स्थ.प्र.प्ला. की तैयारी हेतु चार परामर्शदाता ₹2.92 करोड़ की राशि पर नियुक्त किए, जिसमें से ₹ 2.59 करोड़ का भुगतान परामर्शदाताओं को पहले ही कर दिया गया था। तथापि कार्य अभी तक अधूरा था क्योंकि भा.पु.स. द्वारा वि.सं.प्र.प्ला./ए.प्र.प्ला/स्थ.प्र.प्ला. को अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

तालिका 3.1 स्थ.प्र.प्ला./ए.प्र.प्ला./वि.सं.प्र.प्ला की स्थिति

स्थल	स्थ.प्र.प्ला. परामर्शदाता	पारिश्रमिक (₹ लाख में)	कार्य को आरंभ करना	स्थ.प्र.प्ला./ए.प्र.प्ला./वि.सं.प्र.प्ला. को अंतिम रूप देना	कार्यान्वयन की स्थिति
हम्पी कर्नाटक	नलिनी ठाकुर	14.25	2004-05	अंतिम रूप नहीं दिया गया	अभी कार्यान्वित नहीं किया गया[21]
लाल किला दिल्ली	गुरमीत राय	91.46	2005	2007	कार्यान्वित नहीं किया गया
अजन्ता गुफाएं महाराष्ट्र	आभा नारायण लाम्बा	92.13	2007	अंतिम रूप नहीं दिया गया	कार्यान्वित नहीं किया गया
एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र	गुरमीत राय	94.60	2007	अंतिम रूप नहीं दिया गया	कार्यान्वित नहीं किया गया

चम्पानेर पावागढ़ के लिए ए.प्र.प्ला., भा.पु.स. की आन्तरिक टीम द्वारा तैयार किया जा रहा था। ताजमहल, आगरा किला तथा फतेहपुर सीकरी के लिए स.प्र.यो. की तैयारी की प्रक्रिया 2012 से आरम्भ की गई। तथापि ई.ओ.आई. 2012 में अपने आप ही रद्द हो गया था तथा अभी पुनः आरंभ किया जाना था।

हमने पाया कि स्थल प्रबंधन योजना खराब ढंग से बनाए जा रहे थे इसलिए कार्यान्वित नहीं किए जा सके। योजना में स्थल के वास्तविक प्रबंधन के बारे में संरक्षण सहायकों तथा अन्य

[21] मंत्रालय ने सूचित किया (मई 2013) कि हम्पी की समेकित प्रबंधन योजना पहले से ही इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से निर्मित विश्व विरासत प्राधिकरण द्वारा उप-क्षेत्रीय योजनाएं कार्यान्वयन से भिन्न भिन्न स्तरों में हैं तथा मास्टर योजना में समेकित प्रबंधन योजना के औपचारिक समावेशन की प्रक्रिया चल रही है।

क्षेत्रीय स्टाफ के लिए कोई मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं था। यह स्थल के प्रबंधन हेतु पहलुओं तथा सैद्धान्तिक दृष्टिकोण की चर्चा करने के लिए, मुख्यतः एक शैक्षिक प्रलेख मात्र था।

अतः भा.पु.स., स्थल प्रबंधन योजना के प्रस्तुतीकरण हेतु यूनेस्को की अधिदेशात्मक आवश्यकता का पालन करने में असमर्थ था।

मंत्रालय ने बताया (मई 2013) कि एकीकृत प्रबंधन योजना या स्थल प्रबंधन योजना गतिदायक दस्तावेज थे जो कई वर्षों तक चरणबद्ध कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित हैं।

3.4 विश्व विरासत स्थलों पर स्थल निरीक्षण

विश्व विरासत स्थिति में, इन स्थलों के लिए निधियन, स्टाफ तथा बेहतर सुविधाओं की उपलब्धता अभिव्यक्त नहीं की। संरक्षण, सुरक्षा तथा अनुरक्षण के सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए भा.पु.स. ने विश्व विरासत स्थलों तथा अन्य स्थलों के बीच कोई अंतर नहीं किया था। इन वि.वि.स्थ. से 2007-12 की अवधि के दौरान कुल ₹ 320.03 करोड़ का राजस्व संग्रहीत हुआ जिसके प्रति ₹ 243.96 करोड़ का व्यय किया गया था भारतीय तथा विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या 887.08 लाख थी।

इन वि.वि.स्थ. से जनित राजस्व पर विचार करते हुए हमारी राय में भा.पु.स. को, पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा इन स्मारकों का बेहतर संरक्षण तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास करने चाहिए। पर्यटकों, राजस्व तथा संरक्षण पर किए गए व्यय के संबंध में सूचना **अनुबंध 3.3** में है। संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण के दौरान हमने पाया कि विभिन्न स्थलों पर अलग-अलग मुद्दे थे जो सुरक्षा, जन सुविधाओं, अतिक्रमण तथा अनाधिकृत निर्माण, श्रव्य मार्गदर्शक सेवा (विवरण **अनुबंध 3.4** में) से संबंधित थे।

3.5 विश्व विरासत स्थलों पर सुविधाओं की स्थिति

संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण के दौरान पाई गई जन सुविधाओं की स्थिति की कुछ विशिष्टताएं निम्न प्रकार हैं: (विवरण **अनुबंध 3.4** में)

- खजुराहो, मध्य प्रदेश, फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश तथा चम्पानेर गुजरात के विश्व विरासत स्थलों पर अनाधिकृत निर्माण के क्रमशः 628 मामले, 194 मामले तथा 107 मामले पाए गए थे।
- पांच स्थलों, लाल किला, कुतुब मीनार, भीमबेटका, हम्पी तथा चम्पानेर पर अतिक्रमण देखा गया था।

- यह पाया गया था कि 19 विश्व विरासत स्थलों में से 9 स्मारक जनता के लिए आंशिक रूप से बन्द किए गए थे। इनमें ताजमहल, आगरा, लाल किला दिल्ली तथा कुतुब मीनार दिल्ली शामिल हैं।[22]
- 19 विश्व विरासत स्थलों में से 14 में कोई आडियो गाइड सेवा उपलब्ध नहीं थी। इनमें अजन्ता, एलोरा, खजुराहो तथा लाल किला शामिल हैं।
- 19 विश्व विरासत स्थलों में से 7 में सुरक्षा उपकरण जैसे हाथ से पकड़ने वाला मैटल डिटेक्टर, स्कैनर्स आदि उपलब्ध नहीं थे तथा 19 स्थलों में से 16 में सी.सी.टी.वी. प्रतिस्थापित नहीं किए गए थे।
- 19 विश्व विरासत स्थलों में से 6 जैसे हुमायूँ का मकबरा, भीमबेटका आदि में असाधारण पर्यटकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी।

अनुशंसा 3.3: *मंत्रालय को विश्व विरासत स्थलों के अनुरक्षण तथा सुरक्षा के लिए एक पृथक परियोजना तैयार करनी चाहिए। वहां निधियों, सुरक्षा तथा संरक्षण आवश्कयताओं का उचित मूल्यांकन होना चाहिए।*

मंत्रालय ने अनुशंसा स्वीकार कर ली है (मई 2013)

[22] आडियो गाइड सेवा लाल किला, दिल्ली में जुलाई 2012 से शुरू की गई है।

मामला अध्ययन 1: ताजमहल, आगरा

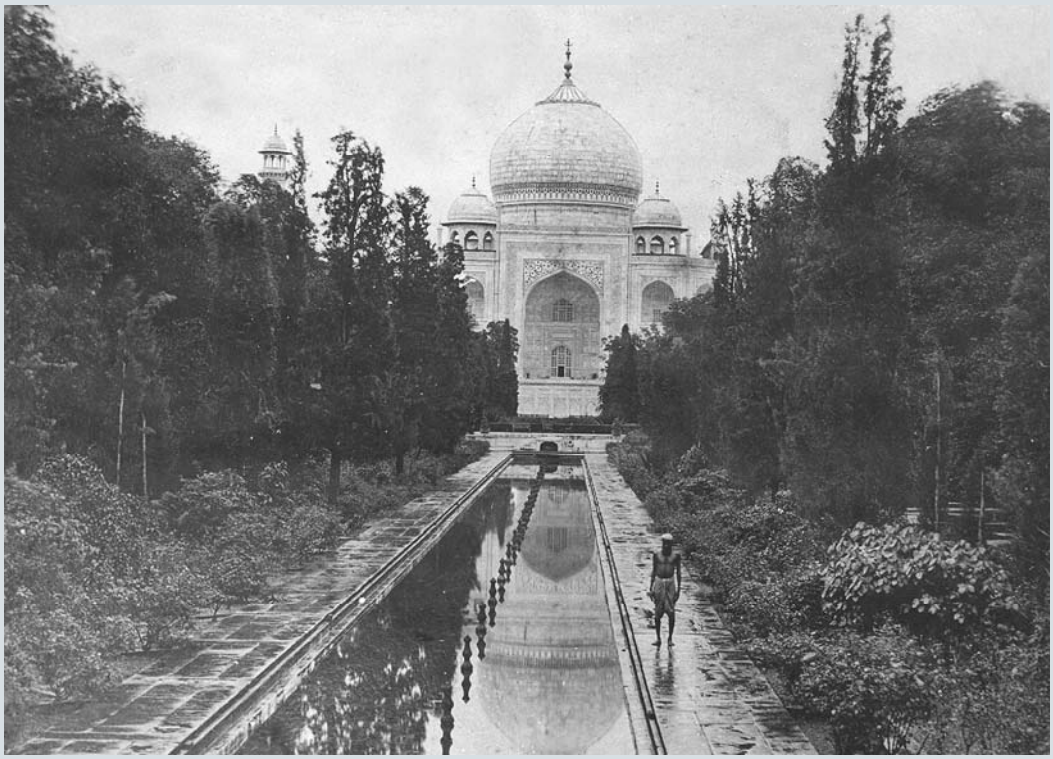

ताजमहल, आगरा मुगल बादशाह, शाहजहां द्वारा बनाया गया एक सफेद संगमरमर का मकबरा है। वह अपने अद्वितीय अभिन्यास, प्रतिसाम्य में आदर्श तथा जड़ाऊ कार्य के लिए प्रसिद्ध है। ताजमहल का निर्माण 1631 ईस्वी से 1648 ईस्वी तक 17 वर्षों के भीतर लगभग रू. 4.0 करोड़ की लागत पर पूरा किया गया था। ताजमहल को दिसम्बर 1920 मे राष्ट्रीय महत्व का एक केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। विश्व के सात आश्चर्यों में से इसे एक मानते हुए इसको 1983 में विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया था।

पिछले पांच वर्षों के दौरानः

- **0.31 करोड़ विदेशी तथा 1.73 करोड़ भारतीय पर्यटक ताजमहल घूमने आए जिसके द्वारा भा.पु.स. ने राजस्व रूप में ₹ 84.90 करोड़ अर्जित किए।**
- **ताजमहल के प्रतिरक्षण तथा संरक्षण पर किया गया कुल व्यय ₹ 7.55 करोड़ था।**
- **ताजमहल के अनुरक्षण तथा सुरक्षा के लिए भा.पु.स. के 128 कर्मचारी तथा के.औ.सु.ब. के 275 जवान तैनात किए गए थे।**

तथापि, समस्त भा.पु.स. के स्मारकों में अधिकतम संसाधन होने के बावजूद स्थल का अनुरक्षण अपर्याप्त था जिसकी अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है। स्थल प्रबंधन योजना को अभी अंतिम रूप देकर कार्यान्वित किया जाना शेष था।

जन सुविधाओं की स्थिति

ताजमहल में पर्याप्त जन सुविधाएं जैसे पेय जल, शौचालय, शारीरिक दृष्टि से अक्षम पर्यटकों के लिए रैम्प तथा व्हील चेयर उपलब्ध थे। तथापि ताजमहल में ब्रैल में कोई सूचना पट्ट उपलब्ध नहीं था। ताजमहल के पश्चिमी गेट पर अमानती सामानघर की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, हांलाकि अधिकांश भारतीय पर्यटक इसी गेट से प्रविष्ट होते हैं। पार्किंग सुविधा, प्रवेश द्वारों से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

हमने पाया कि यद्यपि काउंटर पर उल्लेख किया गया था, तथापि कोरिया, जापानी, चीन तथा गुजराती भाषाओं में श्रव्य गाइड सुविधा उपलब्ध नहीं थी। भा.पु.स. ने जनवरी 2010 में, ताजमहल के पूर्वी और पश्चिमी गेटों पर सुरक्षा के लिए छतदार पंक्ति लगाने के क्षेत्र, सामान घर, सूचना क्षेत्र, प्रतीक्षा कक्ष तथा शौचालय आदि सहित प्रवेश टिकट काउंटर की सुविधा देने के लिए पर्यटक केन्द्रों का निर्माण करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्ताव किया। व्याख्या केन्द्र की स्थापना करने का भी प्रस्ताव था। हमने पाया कि भा.पु.स. द्वारा वास्तविक निर्माण हेतु कार्य योजना को अभी प्रस्तुत किया जाना था।

ताजमहल में तथा उसके आस पास अतिक्रमण तथा अनाधिकृत निर्माण

हमने पाया कि खान-ए-आलम के बाग के निकट ताजमहल के परिसर में अतिक्रमण किया हुआ था। भा.पु.स. के द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए न तो कोई कार्रवाई की गई और न ही सभी केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों के लिए भा.पु.स. मुख्यालय द्वारा दी गई 249 अतिक्रमणों की सूची में इसका उल्लेख किया गया था।

हमने यह भी पाया कि ताजमहल के आसपास 24 अनाधिकृत निर्माणों में से केवल एक नष्ट किया गया था। हमने आगे पाया कि पूर्वी गेट की बाहरी चारदीवारी के आगे एक पुराने मंदिर का प्राधिकार के बिना निर्माण किया गया था। भा.पु.स. ने न तो कोई कार्रवाई की और न ही इन अनाधिकृत निर्माणों पर संबंधित प्राधिकारियों के पास शिकायत लिखवाई।

ताजमहल का परिरक्षण तथा संरक्षण

हमने पाया कि परिमंडल कार्यालय ताज परिसर की बाहरी चारदीवारी का उचित ढंग से संरक्षण करने में विफल रहा। पूर्वी गेट पर बायीं तरफ की चारदीवारी की दीवार खराब स्थिति में थी। परिमण्डल कार्यालय द्वारा इस दीवार पर कोई संरक्षण कार्य नहीं किया गया था। 400 वर्ष पुरानी

दीवार में बड़े-बड़े कील ठोके हुए थे तथा नियमित रूप मे उनसे पशुओं को खूंटे से बांधा जाता था।

ताजमहल परिसर की बायीं तरफ

हमने बाहरी दीवारों में दरार, दीवारों में जड़े हुए टूटे पत्थर, लापता डिजाइन, दीवार में सीमेंट का उपयोग, रिसाव, प्लास्टिक पाइपों को लगाना तथा टूटी जालियां भी देखीं।

दीवार में लगाई गई प्लास्टिक पाइप

बाहरी दीवार की टूटी जालियां

लापता पत्थर और प्लास्टर

जड़ाऊ कार्य

पत्थर पर धब्बे

उद्यान का अनुरक्षण न किया जाना

स्मारक के भीतर संरक्षण तथा परिरक्षण के कार्य भी संतोषजनक नहीं थे। स्मारक के मुख्य प्रवेश द्वार पर प्लास्टर का रंग फीका पड़ रहा था। उसमें जड़ाऊ डिजाइनों के लापता होने तथा रिसाव के कई उदाहरण थे। यहां तक कि उद्यानों का भी उचित ढंग से रख-रखाव नहीं किया गया था।

उद्यान में कूड़ाकरकट

अधूरा डिजाइन

छत का रिसाव

मुख्य मकबरे के पूर्वी तथा पश्चिमी तरफ क्रमशः मस्जिद तथा मेहमान खाना था। हमने पाया कि इन भागों के अनुरक्षण पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया था जो हटे हुए प्लास्टर, लापता डिजाइनों तथा रिसाव में प्रदर्शित होता था।

मस्जिद की दीवारों पर सीमेंट का कार्य

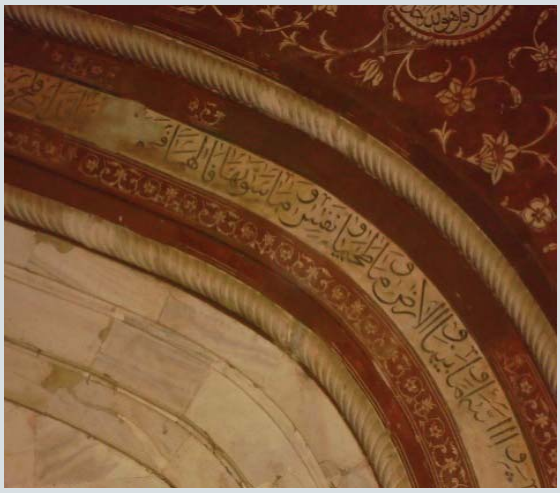

मस्जिद में मिटे हुए डिजाइन

मस्जिद की टूटी हुई छत

मेहमान खाना में रिसाव और दरारें

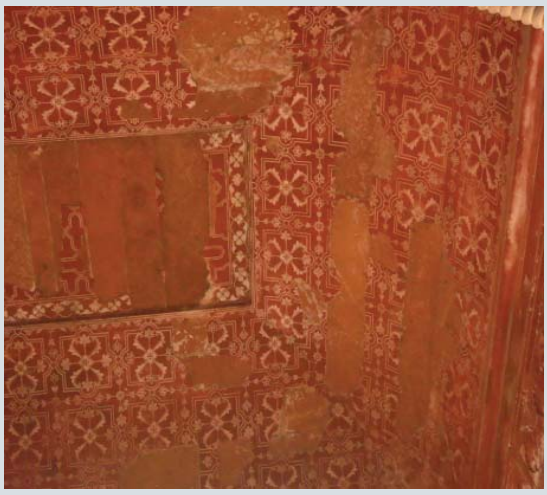

मेहमान खाना में मिटे हुए डिजाइन

मेहमान खाना में हटता हुआ प्लास्टर कार्य

मुख्य मकबरा

ताजमहल का मुख्य मकबरा स्मारक का मुख्य आकर्षण तथा दिल है। यह वास्तविक अर्द्ध कीमती संगमरमर का पत्थर के जड़ाऊ काम वाला शुद्ध सफेद ढांचा है। हमने देखा कि यद्यपि इस क्षेत्र का परिरक्षण तथा संरक्षण करने के लिए परिमंडल कार्यालय द्वारा प्रयास किए गए थे, तथापि, उसमें कुछ कमियां थी। भा.पु.स. ने बताया कि चूंकि ताजमहल में काफी संख्या में पर्यटक आते हैं, इसलिए उन्हें स्मारक के संरक्षण तथा परिरक्षण के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता। परिमंडल कार्यालय निर्माण क्षेत्र में सफाई कैमिकल ट्रीटमेंट के बीच समन्वय की कमी भी देखी गई थी। मुख्य लोहे के गेट से डिजाइन मिटा हुआ था। हमने पाया कि पत्थर गायब थे, सफेद पुष्पी डिजाइन काले पड़ गए थे तथा डिजाइन में दरारें भी देखी गई थी।

संगमरमर डिजाइनों पर काले धब्बे

संगमरमर डिजाइन पर पैबंदकारी कार्य

टूटे हुए पुष्पीय डिजाइन

जड़ाऊ कार्य में पैबंदकारी कार्य

यूनेस्को की सहायता से विज्ञान शाखा ने, आगरा में नवम्बर 2006 में एक पत्थर संरक्षण प्रयोगशाला स्थापित की। प्रयोगशाला का कार्य पत्थर को निर्माणकार्यों में उपयोग करने से पूर्व उनकी गुणवत्ता की जांच करना था। हमने पाया कि 2007-08 से 2011-12 के दौरान परिसर में पत्थर का फर्श बनाने के प्रति ₹ 1.35 करोड़ का व्यय किया गया था। तथापि पत्थर संरक्षण प्रयोगशाला में पत्थरों के उपयोग की गुणवत्ता की जांच नहीं की गई थी।

मामला अध्ययन 2: लाल किला, दिल्ली

लाल किला, दिल्ली

संक्षिप्त इतिहास

लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा 1648 में एक करोड़ रूपए की लागत पर निर्मित किया गया था। लाल किले में व्यापक सेना किलेबन्दी, बादशाह के प्रशासनिक मुख्यालय तथा शाही महलों में भी होती थी। किले में कला का कार्य भारतीय, पार्शियन तथा यूरोपीय कला का मिश्रण है। यह मुगल वास्तुकारों की पराकाष्ठा को भी निरूपित करता है। 2007 में विश्व विरासत समिति ने लाल किला, दिल्ली का नाम विश्व विरासत स्मारक के रूप में लिखा।

पिछले पांच वर्षों के दौरान,

- सात लाख विदेशी तथा 1.17 करोड़ भारतीय पर्यटकों ने लाल किले का भ्रमण किया जिसके द्वारा भा.पु.सं. ने राजस्व के रूप में ₹ 25.59 करोड़ अर्जित किए।
- लाल किले के परिरक्षण तथा संरक्षण के लिए किया गया कुल व्यय ₹ 15.77 करोड़ था।
- लाल किले की सुरक्षा के लिए 119 निजी सुरक्षा गार्डों तथा 317 के.औ.सु.ब. कार्मिक तैनात किए गए थे।

अधिसूचना

स्मारक को फरवरी 1913 में अधिसूचित किया गया था, तथा इसमें किले के कुछ भाग[23] शामिल किए गए थे। बाद में किले के कुछ अतिरिक्त भाग[24] शामिल करने के लिए जुलाई 2002 में एक अन्य अधिसूचना जारी की गई थी।

अधिसूचनाओं के परिणामस्वरूप लाल किले को भा.पु.स. द्वारा मुख्यालय तथा परिमंडल कार्यालय (दिल्ली परिमंडल में 174 स्मारकों की सूची के अनुसार) दो विभिन्न स्मारकों के रूप में माना गया था, जबकि भा.पु.स. द्वारा प्रकाशित दिल्ली परिमंडल की सूची में लाल किले को एक स्मारक के रूप में तथा दूसरी अधिसूचना का प्रथम अधिसूचना के अनुपूरक के रूप में उल्लेख किया गया है।

स्मारक या उसके भागों को अनाधिकृत रूप से बन्द करना

लाला किले में हमाम, मोती मस्जिद तथा बावली को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना पर्यटकों के लिए स्थायी रूप से बन्द कर दिया था। यह भी पाया गया था कि आम जनता का मुमताज महल, खास महल, दीवान-ए-खास आदि में जाना वर्जित था। यहां तक कि पर्यटकों को दीवान-ए-आम तथा दीवान-ए-खास में तख्त को निकट से देखने की भी अनुमति नहीं दी गई थी।

अतिक्रमण तथा अनाधिकृत निर्माण

यह पाया गया था कि लाल किले के कुछ भागों का भा.पु.स. के कर्मचारियों तथा सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा आवासीय उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जा रहा था। भा.पु.स. के महानिदेशक दिल्ली परिमंडल के उपाधीक्षण पुरातत्वविद् तथा सहायक संरक्षण किले के अन्दर रह रहे थे। के.औ.सु.ब. तथा निजी सुरक्षा एजेंसी दोनों के सुरक्षा गार्ड भी स्मारक के अन्दर रह रहे थे। लाल किला परिसर में कई कार्यालय जैसे पुरातत्व संस्थान, छात्रावास, राष्ट्रीय स्मारक तथा पुरावस्तु मिशन, विज्ञान शाखा कार्यालय, बागवानी शाखा, सं.स. कार्यालय तथा कमांडेंट, के.औ.सु.ब. का कार्यालय स्थित थे।

संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया था कि लाल किला परिसर में मन्दिर तथा मजार भी विद्यमान थे तथा उनका नियमित प्राथनाओं के लिए उपयोग किया जाना प्रतीत हो रहा था हांलाकि यह प्राधिकृत नहीं था। इसके बारे में परिमंडल /म.नि. कार्यालय को सूचित नहीं किया गया था तथा स्मारकों, जिनमें अनाधिकृत प्रार्थनाएं की जा रही हैं, की सूची में शामिल नहीं किया गया था।

---

[23] नौबत खाना, दीवान-ए-आम, मुमताज महल, रंग महल, बैठक मुसामम बुर्ज, दीवान-ए-खास, मोती मस्जिद, सावन एवं भादों पावेलियन, शाह बुर्ज, बगीचों, रास्तों, छज्जों एवं जल कार्य (लाल किला) सहित हमाम।

[24] दिल्ली का लाल किला, असद बुर्ज, जल द्वार, लाहोरी गेट, किले की दीवार, छत्ता बाजार एवं बावली

लाल किले में भा.पु.स. म.नि. का निवास स्थान

के.औ.सु.ब. को मुहैया कराया गया आवास

लाल किले के भीतर मज़ार

लाल किले के भीतर मंदिर

जन सुविधाएं

- जुलाई 2012 में केवल दो भाषाओं अर्थात अंग्रेजी तथा हिन्दी में आडियो गाइड सुविधा आरंभ की गई।
- आगन्तुकों को टिकट कांउटर पर पहुंचने के लिए या तो नजदीकी बस स्टॉप से या प्राधिकृत पार्किंग स्थल से एक किलोमीटर से अधिक चलना पड़ता था।
- लाहौरी गेट पर कोई सी सी टी वी कैमरे नहीं लगाए गए थे। दिल्ली गेट पर कोई सी सी टी वी कैमरा तथा मेटल डिटेक्टर प्रतिस्थापित नहीं किए गए थे। लाल किले परिसर में प्रवेश के समय वाहनों की सुरक्षा हेतु कोई प्रणाली नहीं थी।
- स्मारक में दृष्टि संबंधी विकलांग लोगों के लिए कोई ब्रैल सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

विस्तृत स्थल प्रबंधन योजना (वि.स्थ.प्र.यो.)

भा.पु.स. ने 2007-08 में ₹ 91.46 लाख की कुल लागत पर एक परामर्शदाता के माध्यम से वि.स्थ.प्र.यो. तैयार किया था। तथापि, सहायक संरक्षक ने सूचित किया कि वि.स्थ.प्र.प्ला. व्यावहारिक नहीं था तथा कार्यान्वित करना कठिन था। महत्वपूर्ण मुद्दा जैसे ऊंची तार लगाने के कार्य का वि.स्थ.प्र.प्ला. में उल्लेख नहीं किया गया था। इस प्रकार व्यय निष्फल हो गया था।

राजस्व की प्राप्ति न होना

लाल किले में पार्किंग का प्रबंध करने का ठेका सितम्बर 2010 में अपात्र ठेकेदार[25] को सौंपा गया था। ठेकेदार ने जुलाई 2011 से धनराशि जमा कराना बन्द कर दिया था तथा 31 मार्च 2012 को ठेकेदार के प्रति बिजली प्रभारों तथा अर्थदण्ड सहित ₹ 1.14 करोड़ की राशि बकाया थी।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना

लाल किले के उद्यान में सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजन करने की अनुमति की शर्तों का वार्षिक राम लीला[26] के आयोजकों द्वारा सख्ती से पालन नहीं किया गया था। भा.पु.स. ने उनके विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की थी। भा.पु.स. ने रू. 50,000/- प्रतिदिन का निर्धारित शुल्क भी यह बताते हुए छोड़ दिया कि यह एक धार्मिक कार्य है (**पैरा 2.8.5 देखें**)।

स्मारकों की प्रत्यक्ष स्थिति

परिसर के संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण से प्रकट हुआ कि उसमें बहुत अधिक संरक्षण/ परिरक्षण की आवश्यकता है; इसके अतिरिक्त कुछ भाग जीर्ण-शीर्ण स्थिति में थे तथा उनकी ओर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। विवरण निम्नानुसार है:-

लाहौरी गेट पर दीवारों, पत्थरों की जीर्ण-शीर्ण अवस्था पर अनुपयुक्त संरक्षण निर्माण कार्य।

लाहौरी गेट का मुख्य प्रवेश

छत्ता बाजार के निकट बंद दुकान

[25] फर्म से संबंधित क्षेत्र में अपेक्षित अनुभव नहीं था।

[26] मैसर्स लवकुश रामलीला समिति तथा मैसर्स नव/श्री धार्मिक लीला समिति।

नौबत खाना तथा दीवान -ए-आम

नौबत खाना के प्रवेश द्वार पर कई पत्थर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे तथा गेट पर किए गए अनुपयुक्त संरक्षण निर्माण कार्य के निशान प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे थे। पुष्पीय डिजाइन को विभिन्न रंगों के साथ बदला गया था तथा किया गया कार्य भी एक पैबंदकारी कार्य था। स्मारक पर सीमेंट का कार्य भी देखा गया था। तख्त को कबूतरों तथा चमगादड़ों से बचाने के लिए एक जाली से ढका हुआ था। तथापि, कबूतर जाली के अंदर प्रविष्ट हो गए जिससे इसका उद्देश्य विफल हो गया। जाली उस स्थान की सारी सुन्दरता के प्रभाव को बिगाड़ रही थी। दीवान-ए-आम की छत पर बहुत अधिक सीलन देखी गयी थी। पिछली दीवार में कई दरारे थीं तथा उनकी कैमिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी। ढांचे को पकड़ने वाले ब्रैकेट भी गिर रहे थे तथा उनको तत्काल संरक्षित करने की आवश्यकता थी।

उतरा हुआ प्लास्टर

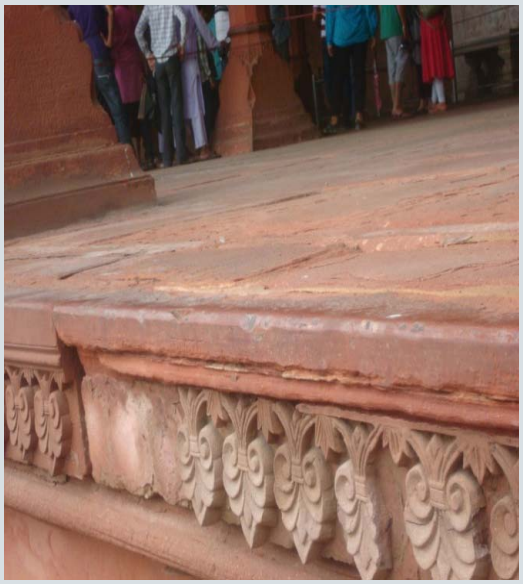

लुप्त हुआ पुष्पीय डिजाइन

कैमिकल सफाई की आवश्यकता वाला दीवान-ए-आम का पिछला भाग

दीवान-ए-खास

दीवारों के डिजाइन को उसके वास्तविक आकार में पुनः लाने के प्रयास किए गए थे तथापि निर्माणकार्य बीच में ही छोड़ दिया था। इस क्षेत्र में भी उचित कैमिकल संरक्षण करने की आवश्यकता है।

दीवार पर लुप्त डिजाइन

एक स्तम्भ पर किया गया नमूना कार्य

सावन तथा भादो मंडप

सभी क्षेत्रों में कैमिकल संरक्षण निर्माणकार्य एकरूपता से नंही किए गए थे। इन दो मंडपों के बीच हयात बक्श उद्यान के अनुरक्षण में कमी पायी गयी। हमने पाया कि वहां बहुत अधिक खरपतवार थी तथा जल स्त्रोत क्षतिग्रस्त स्थिति में थे। रास्तों का भी पुनरूद्धार करने की आवश्यकता है।

सावन मंडप में किया गया जड़ाऊ कार्य

हयादत बक्श उद्यान का अनुचित अनुरक्षण

जफर महल और बॉवली

जफर महल, एक लाल बलुआ पत्थर का ढांचा पानी भरने में उपयोग किया जाता था। जालियां टूटी हुई पाई गई थी, बहुत अधिक खरपतवार, सीलन तथा सीमेंट का कार्य भी देखा गया था। वहां कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पत्थर लुप्त थे; ईंटों पर कोई प्लास्टर नहीं था फर्श पर पानी इकट्ठा हो रहा था। किले में बॉवली के परिरक्षण हेतु तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। बॉवली की दीवार के पत्थर तथा कुछ भाग टूटा पाया गया था तथा बहुत अधिक खरपतवार देखी गई थी। बॉवली से आगे का उद्यान पूरी तरह बेढंगी स्थिति में था।

जफर महल में लुप्त पत्थर तथा पानी का इकट्ठा होना

बॉवली मे स्थिर पानी

बावली का अनुचित अनुरक्षण

जी.ई. बिल्डिंग

ब्रिटिश काल की जी.ई. बिल्डिंग, राष्ट्रीय स्मारक तथा पुरावस्तु मिशन द्वारा अधिकृत की गई थी। वहां पर कई आधुनिक उपकरण तथा ए.सी., बिजली फिटिंग्स, सेरामिक टाइलें आदि प्रतिष्ठापित की गई थी। मार्ग घास से ढके हुए थे जो घटिया अनुरक्षण को उजागर करते हैं।

लाल किले में ब्रिटिश काल की बिल्डिंग

मार्गों तथा उद्यानों का अनुपयुक्त अनुरक्षण

उपर्युक्त अभ्युक्तियां यह स्पष्ट करती हैं कि हमारे देश के गौरव का प्रतीक तथा एक विश्व विरासत स्थल की देखभाल तथा संरक्षण जिसकी आवश्कता थी, की ओर ध्यान नहीं दिया गया था। भा.पु.स. कर्मचारियों ने निधियों तथा मानवशक्ति की अल्पता के मुद्दे को उजागर किया था। तथापि, हमने पाया कि निधियों की आवश्यकता तथा संरक्षण निर्माण कार्यों का विस्तृत मूल्यांकन कभी नहीं किया गया था। राष्ट्रीय संस्कृति निधि (रा.सं.नि.) या किसी अन्य वैकल्पिक साधन के माध्यम से निधियां प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास नहीं किए गए थे। स्मारक के व्यापक संरक्षण हेतु पृथक निधियों के आबंटन के लिए कोई प्रस्ताव मंत्रालय को प्रस्तुत नहीं किया गया था। मंत्रालय स्वयं इस दिशा में कोई कार्रवाई प्रारंभ करने में विफल रहा।

मामला अध्ययन 3: अजंता गुफाएं, औरंगाबाद

संक्षिप्त इतिहासः

अजंता के निकट चट्टान काट गुफाओं में भारतीय ग्रामीण चित्रकलाओं के श्रेष्ठ नमूने अंतर्विष्ट है। इनकी ब्रिटिश अधिकारियों ने शिकार पर जाते समय 1819 में खोज की थी। उनकी ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी तथा ईसा की सातवीं शताब्दी के बीच खुदाई की गई थी। उनके कम घुमावदार तंग घाटी को अनदेखा करते हुए सेमी सरकुलर स्क्रैप में खुदाई की गई थी। अजंता गुफाओं में चित्रकारी का कुल क्षेत्र लगभग 2994 वर्गमीटर था। गुफाओं को नवम्बर 1951 में अधिसूचित किया गया तथा 1984 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था।

पिछले पांच वर्षों के दौरानः

1.17 लाख विदेशी तथा 15.4 लाख भारतीय पर्यटकों ने अजंता गुफाओं में भ्रमण किया जिसके द्वारा भा.पु.स. ने ₹ 4.97 करोड़ का राजस्व अर्जित किया।

अजंता की गुफाओं के परिरक्षण तथा सरंक्षण पर किया गया कुल व्यय ₹ 7.19 करोड़ था।

तैनात किए गए निजी सुरक्षा गार्डों की संख्या में 2011 में 22 से 42 तक की वृद्धि की गई थी। राज्य-पुलिस ने भी अजंता गुफाओं में गश्त लगाई थी।

स्थल प्रबंधन योजना

स्थल प्रबंधन योजना एक बाहरी परामर्शदाता द्वारा तैयार किया जा रहा था तथा उस पर ₹ 81.10 लाख का व्यय किया जा चुका था।

सुरक्षा

हमने पाया कि निजी सुरक्षा गार्ड प्रवेश टिकटों की बिक्री में भी लगाए गए थे। स्थल पर कोई स्कैनर तथा सी.सी.टी.वी. उपलब्ध नहीं थे।

जन सुविधाओं की स्थिति

- शारीरिक दृष्टि से अक्षम व्यक्तियों के लिए कोई शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।
- स्थल पर कोई श्रव्य गाइड सुविधा नहीं थी।
- आगन्तुकों के लिए कोई अमानती सामानघर उपलब्ध नहीं था।

संरक्षण

अजंता गुफाओं की चित्रकारी तथा अन्य स्मारकों की पहचान तथा कैमिकल संरक्षण की परियोजनाओं का निष्पादन करना साइंस ब्रांच के अधीन "अजंता की क्षेत्रीय प्रयोगशाला" की जिम्मेदारी थी। अजंता में चित्रकलाओं पर किए गए कैमिकल संरक्षण तथा परिरक्षण विश्लेषण से निम्नलिखित प्रकट हुआः

1) दोषपूर्ण कार्य निष्पादन के प्रति सफाई तथा उत्तरदायित्व नियत करने के परिणामों का अनुश्रवण तथा मूल्यांकन करने की कोई तंत्रविधि नहीं थी।
2) चित्रकारी के कैमिकल सफाई/संरक्षण हेतु कोई प्रलेखित नीति निर्धारित नहीं की गई थी।
3) चित्रकलाओं की सूची नहीं बनाई गई थी।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु जापान बैंक (अं.स.जा.बै.) से वित्तीय सहायता

भारत सरकार (भा.स.) ने 1992 में चरण-I के लिए तथा 2003 में चरण-II के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु जापान बैंक (अ.स.जा.बै. के साथ एक अनुबंध हस्ताक्षरित किया। दोनों चरणों के दौरान ₹ 17.03 करोड़ का व्यय किया गया था। परियोजना का उद्देश्य " स्मारकों तथा आस पास के प्राकृतिक स्त्रोतों को संरक्षित तथा परिरक्षित करना और अवसंरचना तथा आगन्तुक प्रबंधन को सुधारना, पर्यटन विकास गतिविधियों को कार्यान्वित करना तथा महाराष्ट्र, अजंता में

प्रबल वाली स्थानीय जनता के जीवन को उच्च श्रेणी का बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना था।

वर्तमान स्थिति

- गुफाओं में अस्थिर माइक्रो जलवायु स्थितियों ने भित्ति चित्रों के संरक्षण को प्रभावित किया। आर्द्रता के संबंध मे अंतर के प्रभाव के कारण मिट्टी सहित चित्रित प्लास्टर का भाग उसके पत्थर के खांचे से नीचे गिर गए थे। गुफा संख्या 2 की छत से सफेद धब्बे गिरना भी देखा गया था।
- पिछले जीर्ण उद्धारकों द्वारा चित्रों पर उपयोग की गई संरक्षित परत का मोटा लेप लगाना, संचित धूल-मिट्टी, कालिख, चमगादड़ों आदि के बीट पड़े हुए थे जिससे भित्ति चित्र धुंधले हो गए थे।
- सफाई के लिए उपयोग किए गए विलायक द्रव्यों कैमिकलों आदि में बार-बार परिवर्तन किया गया था तथा विलायक द्रव्यों का अविवेकपूर्ण उपयोग के कारण चित्रकला खराब हो गई।

गुफा सं. 17 पूर्वी दीवार, सफेदी धुल जाना

आगन्तुकों का प्रभाव

राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (रा.प.इ.अ.सं.) नागपुर को गुफाओं की क्षमता अध्ययन कराने के लिए पहचान की थी (जुलाई 2012) तथा परियोजना प्रगति पर थीं। गुफाओं के अंदर आगन्तुकों की प्रविष्टि 40 तक ही होनी थी लेकिन इसे लागू नहीं किया गया था जिसके कारण सापेक्ष आर्द्रता में छः से सात प्रतिशत तक की वृद्धि सूचित की गई थी।

गुफा सं. 2 में आगन्तुकों की भीड़

गुफा के भीतर आगन्तुकों के प्रभाव से कार्बन डायोक्साइड सान्द्रत में भी बढ़ोतरी हुई। यह गुफाओं मे एक ही समय पर्यटकों की संख्या को नियंत्रित करने की आवश्यकता को उजागर करता है। आज की तिथि तक कोई आपातकालीन निकासी योजना तैयार नहीं किया गया है।

पर्यटकों के अधिक अंतर्वहन तथा गुफाओं नाजुक स्थिति को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम (म.प.वि.नि.) ने अगस्त 2012 में विदेशी तकनीकी की सहायता तथा आ.अं.स.अ. से वित्तीय सहायता से इन गुफाओं की प्रतिकृति सृजित करने की परियोजना आरंभ की।